न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 56/16

GCMS NO 2016/00058

1. कलियाण उर्फ कल्याण पुत्र रघुनाथ
2. राजाराम
3. जगराम पुत्रान भम्बल जातियान मीना निवासीयान सुकार तहसील बामनवास

अपीलांट

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र बुधराम
2. मनोहरी पुत्र बुधराम
3. रामकेश पुत्र बुधराम
4. किशोरी पुत्र श्योनारायण(मृतक)
   4/1. राजमोहन पुत्र किशोरी
5. परसादी पुत्र जौहरी(मृतक)
   5/1. बाबूलाल पुत्र प्रसादी
   5/2. मीठालाल पुत्र प्रसादी
   5/3. मल्लू पुत्र प्रसादी
   5/4. राजेश पुत्र प्रसादी
   5/5. तुलसी देवी पत्नि प्रसादी
   5/6. सोमोती पुत्री प्रसादी
   5/7. रूकमणी पुत्री प्रसादी सभी जातियान मीना निवासी सुकार तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर
6. लैण्ड होल्डर नायब तहसीलदार भांवरा तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 63/15 निर्णय दिनांक 19.5.16 न्यायालय उप जिला कलक्टर, बामनवास)

अभिभाषक अपीला0 श्री योगेश शर्मा
अभिभाषक रैस्पो0 श्री हर्षवर्धन शर्मा

दिनांक 11.12.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय दिनांक 19.5.16 न्यायालय उप जिला कलक्टर, बामनवास पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 द्वारा एक वाद पत्र बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम सुकार मे भूमि साबिक ख0न0 572 रकबा 23 बीघा 17 विस्वा वादीगण के पूर्वज पिता श्योनारायण

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:05:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

जौहरी बुधराम पुत्रगण भैरूडा के नाम दर्ज रही है। वादीगण के पूर्वज व वादीगण भूमि ख0न0 572 रकबा 23 बीघा 17 विस्वा के काबिज खातेदार काश्तकार रहे है। भूमि साबिक ख0न0 572 के हाल ख0न0 1610,1611,1612,1613,1614,1617,1619,1620,1621,1623,1624,1625,1626,1642,1643,1649, 1650,1651,1656,1657, कुल रकबा 5.33 है0 बने है। जो 21 बीघा 6 विस्वा होते है। इस प्रकार वादी को गत के मुकाबले 2 बीघा 11 विस्वा भूमि यानि 64 ऐयर भूमि राजस्व रिकार्ड मे कम कर दी गई। वादीगण के खाते मे हाल ख0न0 1609 रकबा 0.92 है0 भी दर्ज है जो साबिक ख0न0 606 रकबा 2 बीघा 8 विस्वा यानि 60 ऐयर एवं वादीगण के उक्त साबिक ख0न0 572 मे से बना है। यानि हाल ख0न0 1609 रकबा 0.92 है0 मे से 60 ऐयर कम करे तो साबिक ख0न0 572 की हाल ख0न0 1609 मे 0.32 है0 भूमि होती है। जिसे उक्त 64 ऐयर वादीगण को प्राप्त कमी मे से कम करे तो भी वादीगण के खाते मे 32 ऐयर भूमि कम पडती है। सेटलमेट विभाग के कर्मचारियो को वादी के राजस्व रिकार्ड मे भूमि कम करने का अधिकार नही है। ग्राम सुकार की भूमि साबिक ख0न0 574 रकबा 10 बीघा 13 विस्वा प्रतिवादी संख्या 1 कल्याण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 राजाराम व तेजराम के पिता स्व0भम्बल के नाम दर्ज रही है। तथा भूमि साबिक ख0न0 574 के हाल ख0न0 1638 रकबा 0.02 है0, 1639 रकबा 0.02 है0, 1640 रकबा 0.02, 1641 रकबा 0.02 है0, 1644 रकबा 0.19 है0, 1645 रकबा 0.18 है0, 1646 रकबा 0.15 है0, 1647 रकबा 0.16 है0, 1648 रकबा 0.47 है0, 1654 रकबा 0.03 है0, 1670 रकबा 0.13 है0, 1671 रकबा 0.25 है0, 1672 रकबा 0.12 है0, 1673 रकबा 0.15 है0 1675 रकबा 0.18 है0 1676 रकबा 0.27 है0, 1679 रकबा 0.16 है0, 1680/2523 रकबा 0.15 है0 कुल रकबा 2.98 है0 बने है जो 11 बीघा 19 विस्वा होते हे। इस प्रकार प्रतिवादीगण को गत के मुकाबले एक बीघा 6 विस्वा यानि 32 ऐयर अधिक भूमि राजस्व रिकार्ड मे दी गई है। सेटलमेंट विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियो को कोई कानूनी अधिकार नही है। यह 32 ऐयर भूमि प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड मे से कम की जाकर वादीगण के रिकार्ड मे दर्ज की जावे। इसी प्रकार सेटलमेंट विभाग ने साबिक के मुकाबले हाल नक्शा ट्रेस व मिलान क्षैत्रफल भी गलत बनाया है। वादी की भूमि के साबिक ख0न0 571 रकबा 6 विस्वा गैर मुमकिन चाह के पूर्वी उत्तरी तरफ एवं पूर्वी दक्षिणी तरफ वादीगण के साबिक ख0न0 572 की भूमि है। परन्तु सेटलमेंट विभाग ने हाल नक्शा ट्रेस मे इन नये नम्बरान को उत्तरी पूर्वी एवं पूर्वी दक्षिणी और साबिक ख0न0 572 की भूमि की और गलत रूप से बढा दिया। तथा गलत रूप से भूमि हाल ख0न0 1654 रकबा 0.03 है0 को प्रतिवादीगण के साबिक ख0न0 574 से बनना बताते हुए हाल ख0न0 1654 को प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर दिया गया। जो वादी की भूमि है तथा ख0न0 572 का हिस्सा है। भूमि ख0न0 1654 रकबा 0.03 है0 को प्रतिवादीगण के खाते मे से कम की जाकर वादीगण के खाते मे दर्ज किया जावे। साबिक नक्शा ट्रेस मे वादीगण की भूमि साबिक ख0न0 572 की पूर्वी लाईन एक सीध मे दर्शित है तथा उसके पास प्रतिवादीगण की भूमि साबिक ख0न0 574 एक सीध मे दर्शित है। परन्तु सेटलमेट विभाग ने वादी की साबिक आराजी 572 के हाल ख0न0 1650 बनाते हुए सीधी लाईन को पश्चिमी दक्षिणी तरफ तिरछी घुमार दी जिस कारण वादीगण की 0.29 है0 भूमि प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो गई। प्रतिवादीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:05:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

हाल ख0न0 1648 रकबा 0.47 है0 जो वर्तमान मे ख0न0 1648 रकबा 0.11 है0 2570/1648 रकबा 0.12 है0 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तथा ख0न0 2571/1648 रकबा 0.12 है0, 2569/1648 रकबा 0.12 है0 प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज कर दी। इस प्रकार हाल ख0न0 1648 रकबा 0.47 है0 मे से 0.29 है0 भूमि प्रतिवादी के राजस्व रिकार्ड मे से कम की जाकर वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकित की जावे। भूमि हाल ख0न0 1637 रकबा 0.24 है0 गैर मुमकिन आबादी की वादीगण की भूमि है। जिसमे वादीगण के मकानात बने हुए है। भूमि ख0न0 1680 रकबा 0.10 है0 गैर मुमकिन रास्ता की भूमि है। तथा भूमि ख0न0 1700 रकबा 0.37 है0 गैर मुमकिन रास्ते की भूमि है। वादीगण भूमि ख0न0 1637 मे बनी हुई आवादी स्थित अपने मकानात से रास्ता ख0न0 1652, 1654 व 1650 आदी पर पैदल तथा ट्रेक्टर आदि वाहन लेकर आते जाते है। प्रतिवादीगण ने रास्ते की भूमि ख0न0 1680 मे जोत लगाकर रास्ता अवरूद्व कर दिया। वादीगण ने मना किया तो गाली गलौच करने पर उतारू हो गये तथा ख0न0 1700 मे पटोर चढा दी तथा बाडा बनाकर उसके उपर चादर डाल दी। इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करने से वादीगण को आने जाने मे काफी परेशानी होती है। उक्त रास्ते 15 से 25 फीट के चौडे रास्ते रहे है। प्रतिवादीगण द्वारा रास्ते की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटवाया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। ग्राम सुकार की भूमि ख0न0 1654 रकबा 0.03 है0 एवं हाल ख0न0 1648 रकबा 0.47 है0 मे से 0.29 है0 जिसके की वादीगण खातेदार है। उक्त भूमि प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड से कम की जाकर वादी के नाम दर्ज करते हुए नक्शा ट्रेस व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि ग्राम सुकारी की भूमि हाल ख0न0 1654 रकबा 0.03 है0 एवं ख0न0 1648 रकबा 0.47 है0 मे से 0.29 है0 भूमि में वादीगण के कब्जेकाश्त उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न नही करे किसी प्रकार से अन्तरित नही करे। तथा वादीगण को रास्ते मे जाने लाने मे व्यवधान पैदा नही करे रास्ते पर पर अतिक्रमण हटवाया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्प सुकार मे दिनांक 19.5.16 को आपसी समझाईश पर विवादित आराजीयात पर प्रतिवादीगण का अतिक्रमण मानते हुए नायब तहसीलदार भांवरा व भू अभिलेख निरीक्षक को मौके से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्त ... है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही निर्णय ... लोक अदालत मे केवल

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:05:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

उन्ही प्रकरणो का निस्तारण किया जाता है जिनमे दोनो पक्ष प्रकरण के निस्तारण के लिए सहमत हो तथा दोनो पक्षो अपने प्रकरण का निस्तारण करने हेतु राजीनामे का प्रार्थना पत्र पेश कर अपने हस्ताक्षर करे। अधिनस्थ न्यायालय मे दोनो पक्षो द्वारा किसी प्रकार की कोई सहमति नही दी गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नायब तहसीलदार भांवरा को जिन नम्बरो का सीमाज्ञान कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये है वे नम्बर अपीलार्थीगण की पैतृक आराजी है। मौके पर रास्ता नहीं है। सेटलमेट विभाग के द्वारा गलत रूप से नये नक्शे मे रास्ता दर्शा दिया गया है, गलत है। उनकी दुरूस्ती मेरिट पर सुनवाई कर निस्तारण किया जाना आवश्यक है। उक्त नम्बरान मे अपीलांट के मकानात बने हुए है तथा अपनी फसल काश्त कर रहे है। उक्त आदेश की पालना मे [illegible] तहसीलदार द्वारा अपीलांट को बेदखल कर दिया गया तो अपीलार्थी बेघर हो जावेगे तथा अपीलार्थीगण के भूखे मरने की नौबत आ जावेगी। दावे का निस्तारण दोनो पक्षो को सुनकर दस्तावेजो का अवलोकन कर साक्ष्य ली जाकर मैरिट पर किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.5.16 निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि भूमि साबिक ख0न0 572 रकबा 23 बीघा 17 विस्वा रेस्पो/वादीगण के पूर्वज पिता श्योनारायण जौहरी बुधराम पुत्रगण भैरूडा के नाम दर्ज रही है। रेस्पो/वादीगण के पूर्वज व वादीगण भूमि ख0न0 572 रकबा 23 बीघा 17 विस्वा के काबिज खातेदार काश्तकार रहे है। भूमि साबिक ख0न0 572 के हाल ख0न0 1610,1611,1612,1613,1614,1617, 1619, 1620, 1621,1623, 1624,1625,1626,1642,1643,1649, 1650, 1651, 1656,1657, कुल रकबा 5.33 है0 बने है। जो 21 बीघा 6 विस्वा होते है। इस प्रकार रेस्पो/वादी को गत के मुकाबले 2 बीघा 11 विस्वा भूमि यानि 64 ऐयर भूमि राजस्व रिकार्ड मे कम कर दी गई। रेस्पो/वादीगण के खाते मे हाल ख0न0 1609 रकबा 0.92 है0 भी दर्ज है जो साबिक ख0न0 566 रकबा 2 बीघा 8 विस्वा यानि 60 ऐयर एवं रेस्पो/वादीगण के उक्त साबिक ख0न0 572 मे से बना है। यानि हाल ख0न0 1609 रकबा 0.92 है0 मे से 60 ऐयर कम करे तो साबिक ख0न0 572 की हाल ख0न0 1609 मे 0.32 है0 भूमि होती है। जिसे उक्त 64 ऐयर रेस्पो/वादीगण को प्राप्त कमी मे से कम करे तो भी रेस्पो/वादीगण के खाते मे 32 ऐयर भूमि कम पडती है। सेटलमेट विभाग के कर्मचारियो को रेस्पो/वादी के राजस्व रिकार्ड मे भूमि कम करने का अधिकार नही है। ग्राम सुंकार की भूमि साबिक ख0न0 574 रकबा 10 बीघा 13 विस्वा प्रतिवादी संख्या 1 कल्याण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 राजाराम व तेजराम के पिता स्व0भम्बल के नाम दर्ज रही है। तथा भूमि साबिक ख0न0 574 के हाल ख0न0 1638 रकबा 0.02 है0, 1639 रकबा 0.02 है0, 1640 रकबा 0.02, 1641 रकबा 0.02 है0, 1644 रकबा 0.19 है0, 1645 रकबा 0.18 है0, 1646 रकबा 0.15 है0, 1647 रकबा 0.16 है0, 1648 रकबा 0.47 है0, 1654 रकबा 0.03 है0, 1670 रकबा 0.13 है0, 1671 रकबा 0.25 है0, 1672 रकबा 0.12 है0, 1673 रकबा 0.15 है0 1675 रकबा 0.18 है0 1676 रकबा 0.27 है0, 1679 रक[illegible] है0, 1680/2523 रकबा 0.15 है0 कुल रकबा 2.98 है0 बने है जो 11 बीघा [illegible] अपीलांट/प्रतिवादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:05:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

को गत के मुकाबले एक बीघा 6 बिस्वा यानि 32 ऐयर अधिक भूमि राजस्व रिकार्ड मे दी गई है। सेटलमेंट विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियो को कोई कानूनी अधिकार नही है। यह 32 ऐयर भूमि अपीलांट/प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड मे से कम की जाकर रेस्पो/वादीगण के रिकार्ड मे दर्ज करने की प्रार्थना रेस्पो/वादीगण द्वारा की गई थी।। इसी प्रकार सेटलमेंट विभाग ने साबिक के मुकाबले हाल नक्शा ट्रेस व मिलान क्षैत्रफल भी गलत बनाया है। रेस्पो/वादी की भूमि के साबिक ख0न0 571 रकबा 6 बिस्वा गैर मुमकिन चाह के पूर्वी उत्तरी तरफ एवं पूर्वी दक्षिणी तरफ वादीगण के साबिक ख0न0 572 की भूमि है। परन्तु सेटलमेंट विभाग ने हाल नक्शा ट्रेस मे इन नये नम्बरान को उत्तरी पूर्वी एवं पूर्वी दक्षिणी और साबिक ख0न0 572 की भूमि की और गलत रूप से बढा दिया। तथा गलत रूप से भूमि हाल ख0न0 1654 रकबा 0.03 है0 को अपीलांट/प्रतिवादीगण के साबिक ख0न0 574 से बनना बताते हुए हाल ख0न0 1654 को अपीलांट/प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर दिया गया। जो रेस्पो/वादी की भूमि है तथा ख0न0 572 का हिस्सा है। भूमि ख0न0 1654 रकबा 0.03 है0 को अपीलांट/प्रतिवादीगण के खाते मे से कम की जाकर वादीगण के खाते मे दर्ज किये जाने की रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी होने से ही रिलीफ चाही गई थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत मे राजीनामे की भावना के अनुसार रास्ते की भूमि का विवाद होने के कारण विवादित आराजीयात का नायब तहसीलदार भांवरा व भू अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित की जाकर आराजी ख0न0 1680 व 1700 किस्म गैर मुमकिन चारागाह का मौके पर सीमाज्ञान किया जाकर रास्ते से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किये जाकर प्रकरण मे आगामी तारीख पेशी नियत की दी गई। जिसकी अपील अपीलांट द्वारा विधि विरूद्व न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत की गई है जो खारिज योग्य है। चूकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अभी दावे का मेरिट पर निस्तारण नही किया गया है फिर भी अपीलांट द्वारा अदालत को गुमराह कर केवल मात्र सीमाज्ञान एवं अतिक्रमण हटाने के आदेश के विरूद्व ही अपील दायर कर दी जिसका अपीलांट को कोई अधिकार नही है। रेस्पो/वादीगण द्वारा रास्ते की भूमि को सेटलमेट विभाग द्वारा अपीलांट/प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर देने एवं राजस्व रिकार्ड मे गलत इन्द्राज करने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे वाद दायर किया गया था। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र रास्ते की भूमि का सीमाज्ञान कर अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया गया है। जो दावे का अंतिम निर्णय नही है। जिसकी अपील करने का कोई औचित्य नही होने पर भी अपीलांट द्वारा प्रकरण मे देरीना करने के उद्वेश्य से अपील पेश की गई है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादी/रेस्पो0 द्वारा सेटलमेंट विभाग द्वारा भूमि का रकबा कमी/बेशी किये जाने अर्थात वादी की आराजीयात मे से कुछ हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने तथा नक्शा ट्रेस व राजस्व रिकार्ड मे फेरबदल किये जाने के कारण [illegible] कराने तथा प्रतिवादीगण द्वारा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर पक्के निर्माण [illegible] प्रतिवादीगण द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:05:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

उसकी खातेदारी की आराजीयात पर आने जाने मे व्यवधान उत्पन्न करने के कारण उनकी दुरूस्ती कराने तथा राजस्व रिकार्ड को सही कराने हेतु वाद पत्र पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 वकालतन उपस्थित हुए था प्रतिवादी संख्या 4 की तलबी के इन्तजार मे पत्रावली नियत कर दी गई। इसके पश्चात लगातार 4 बार तारीख तब्दील होती रही है। दिनांक 19.5.16 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प सुकार मे नियत की जाकर वादी एवं प्रतिवादी दोनो पक्षो की उपस्थिति दर्शाकर समझाईश करने पर पाया कि आराजी ख0न0 1680 रकबा 0.10 है0 तथा ख0न0 1700 रकबा 0.37 है0 पर ग्राम सुकार पर गैर मुमकिन रास्ते पर प्रतिवादीगण का अतिक्रमण है। वादी/प्रतिवादी को सुना गया एवं नायब तहसीलदार भांवरा को दिनांक 30.5.16 को पटवारी/भू अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर नायब तहसीलदार की मौजूदगी मे उक्त आराजी ख0न0 1680 व 1700 किस्म गैर मुमकिन रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर रास्ते से अतिक्रमण हटाया जाना सुनिश्चित करे, के आदेश जारी किये गये। परन्तु यहॉ यह विषय बिन्दु है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किस आधार पर उक्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण/अपीलांट का अतिक्रमण माना है। इसके बाबत किसी प्रकार की मौका रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से प्राप्त नही की गई है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपूर्ण निर्णय की श्रेणी मे आता है। इस प्रकार मेरे मतानुसार प्रकरण की पुनः सुनवाई हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, बामनवास के प्रकरण संख्या 63/15 निर्णय दिनांक 19.5.16 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे विवादित आराजीयात की मौके की रिपोर्ट तहसीलदार से प्राप्त की जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे अदिनांक 20.1.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:05:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner